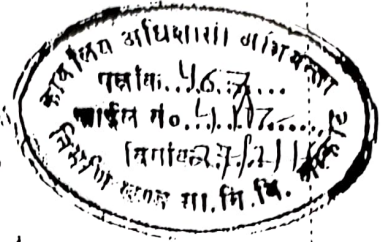


अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शारान।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2016

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 90 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

प्रस्ताव,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 90 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 509.15 किमी0 + 30 सेतु तथा लागत ₹ 4404.25 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 4404.25 लाख (₹ चयालीस करोड़ चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 90 कार्यों हेतु ₹ 2.00 लाख (₹ दो लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शारान को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शारान से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूलर-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्मित समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शारान के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्मित आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिपिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कों- आयोजनागत-000-अन्य व्यय-05-सड़क/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवर्तन पर प्रयोज्य धनराशि से किया जायेगा।

प्रमुख अभियन्ता ()
विभाग लो0नि0वि
देहरादून

(iv)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(v)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष आगू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विपरीत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो गितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनांत-000-अन्य व्यय-03 राज्य रोडर-02 तथा निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-034/XXVII/(2)/2015 दि०-20 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1) / 111(2) / 16-14(मु०मं०घ०) / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ गण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

Photo Copy Attached

अधीक्षक अभियन्ता ()
विशेष सड़क लो०नि०वि०
अस्कोट (पिथौरागढ़)

आज्ञा से,

(ए०एस०पांगती)
उप सचिव

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1409/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम नापड़ नौलीबगढ़ में आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	17.28	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1146/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत छिपलाकेदार हेतु सरतों का निर्माण कार्य।	30.00	83.04	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1137/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत खेतों से स्यांकरी ग्राम का पैदल रास्ता मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	5.00	56.67	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1410/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा खेतड़ा में रोड़ तोक के लिए आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	0.48	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1282/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत गड़कनाली से सुरखाल पाठक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1112/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत शीठा रैतोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00+ 1 Bridge	65.88	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1085/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत देवराडीपत से काकडपानी सीमा बासुकी नाम पर्यटक स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12.00	50.88	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सेनथल से मौचौरा (शहीद जयन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।	4.00	184.00	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	8.00	98.27	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत लछेर से कटिहानी तक मोटर मार्ग का नव-निर्माण कार्य।	12.00	55.20	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1722/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत गडमानले से रोछडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	23.00	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रातगढ़ धर्मशाला तक 04 किमी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	155.20	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1708/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत चणूषण्ड से चौवाटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	15.00+ 1 Bridge	92.10	0.10
मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1332/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत मिर्छी बाजार से तल्ला मिर्छी-गल्ला मिर्छी से लधड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00 + 1 Bridge	141.40	0.10

Photo Copy attached

प्रमुख अधिकारी
पिथौरागढ़ जिला
पिथौरागढ़

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2) / 16-14(1000000) / 2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का

89	गा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1610/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वााराहाट के अन्तर्गत भण्डारगाँव गैल्टा से कुनश्वाड़ी पूनाशिरी तक मोटर मार्ग का नया निर्माण एवं 9 मी. विस्तार आर.सी.सी. मोटर रोड का निर्माण कार्य।	6.00 + 9 mtr.	32.22	
90	गा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1798/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वााराहाट के अन्तर्गत गौरी पुल पार से गोगता परशोला अपनी (कैंगार) तक मोटर मार्ग का नया निर्माण कार्य।	9.00	43.02	
	योग:-	509.15 + 30 Brg	4404.25	

(कुल ₹ 10 लाख)

(ए0एस0पी0एन0
उप सचिव)

R 467 / 14 Az

photo copy attested

सहायक अभियन्ता ()
निर्माण खण्ड को0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)